श्री कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 16.09..2011 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण हेतु जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति के बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थित पदाधिकारी सदस्य :-

1. कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी, मुंगेर- अध्यक्ष।
2. पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय)-
3. मीना सिन्हा, जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर- सदस्य सचिव।
4. कुशेश्वर दास, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा- सदस्य।
5. थानाध्यक्ष, अनु0जाति/ज0जाति थाना, मुंगेर- सदस्य।

उपस्थित गैर सरकारी सदस्य :-

1. गौरी कुमारी, सामाजिक कार्यकर्त्ता एवं अधिवक्ता, सदर अस्पताल, मुंगेर।
2. मो0 महफूज आलम, अध्यक्ष, पनाह आश्रम, पड़हम, फरदा
3. फूलेन्द्र चौधरी, सचिव, बैघनाथ बालिका मूक बधिर आवासीय विद्यालय, धोसीटोला, मुंगेर।
4. रूपक कुमारी, एन0जी0ओ0, अंगिका महिला विकास संगठन, बेकापुर, मुंगेर।
5. अनिता देवी, सीताकुण्ड, मुंगेर।
6. नरेश रजक, मिर्ची तालाब, मुंगेर।

अनुपस्थित पदाधिकारी सदस्य :-

1. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर- सदस्य।
2. कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, मुंगेर- सदस्य।

अनुपस्थित गैर सरकारी सदस्य :-

1. शैलेश कुमार, माननीय वि0स0वि0
2. अनन्त कुमारी सत्यार्थी, माननीय वि0स0वि0
3. नीता चौधरी, माननीय वि0स0वि0

सर्वप्रथम पूर्व आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय की समीक्षा की गयी। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

प्रस्ताव संख्या :- 01

यह बैठक पूर्व में दिनांक 24.06.11 को आयोजित की गयी थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि यह आगामी अवधि में यथासंभव दो माह में एक बार लेकिन किसी भी परिस्थिति में तीन माह में एक बार यह बैठक अवश्य आयोजित की जाय। यह निर्णय लिया गया कि रोस्टर के मुताबिक अगली बैठक दिनांक 13.10.2011 एवं उसके उपरान्त 13.01.2012 को यह बैठक अवश्य आयोजित की जाय साथ ही यह प्रयास भी किया जायेगा कि नवम्बर माह में भी बैठक आयोजित हो।

(अनुपालन- जिला कल्याण पदाधिकारी)

<u>प्रस्ताव संख्या :- 02</u>

पूर्व बैठक में निदेश दिया गया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम- 1989 एवं नियम 1995 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण (नियम -17(2) के आलोक में) समिति के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित राज्य सरकार के तीन समूह "क" के अधिकारी/राजपत्रित पदाधिकारी/अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अधिक से अधिक गैर सरकारी सदस्य एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भिन्न प्रवर्ग के ऐसे अधिक से अधिक तीन सदस्य जो गैर सरकारी संगठनों से सम्बद्ध के पुनः मनोनयन हेतु प्रस्ताव विभाग को भेजा जाय जिसके अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 664, दिनांक 19.07.11 द्वारा उक्त संबंधित सदस्यों के मनोनयन का प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है। किन्तु अनुमोदन अबतक अप्राप्त है।

उपरोक्त स्थिति के मद्देनजर निदेश दिया गया कि जबतक संबंधित सदस्यों के पुर्नमनोनयन का प्रस्ताव अनुमोदन के पश्चात् प्राप्त नहीं होता है तबतक पूर्व मनोनित सदस्यों के साथ ही उन्हें समिति का भाग मानते हुए बैठकें आयोजित की जाती रहेंगी।

(अनुपालन- जिला कल्याण पदाधिकारी)

<u>प्रस्ताव संख्या :- 03</u>

समीक्षोपरान्त यह स्पष्ट होता है कि पूर्व सम्पन्न बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी को दिये निदेश के अनुपालन में उनके द्वारा संबंधित मामालों की एक पंजी संधारित गयी है।

जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा बताया गया कि स्वीकृत किये गये सभी मामलों की सूची विशेष लोक अभियोजक को भेजा गया हैं परन्तु उसकी अद्यतन स्थिति संबंधी प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है।

विशेष लोक अभियोजक को निदेश दिया गया कि स्वीकृत्योपरान्त भेजे गये सभी आवेदनों की अद्यतन स्थिति संबंधी प्रतिवेदन 15 दिनों के अन्दर जिला कल्याण कार्यालय को अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालन- विशेष लोक अभियोजक, मुंगेर)

बैठक में उपस्थित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मुख्यालय, मुंगेर ने बताया कि अनु0जाति/अनु0जनजाति अत्याचार निवारण संबंधी संज्ञान में आये 34 मामलों की सूची तैयार की गयी है जिन्हें उक्त योजना से लाभान्वित किया जा सकता है।

निदेश दिया गया कि सभी 34 मामलों का जांचोपरान्त पूर्ण अभिलेख तैयार कर शीघ्र जिला कल्याण कार्यालय, मुंगेर को उपलब्ध कराया जाय। अभिलेख में आवेदन पत्र, प्राथमिकी की छायाप्रति, आरोप पत्र की छायाप्रति एवं विहित जांच प्रपत्र संलग्न रहेगा।

(अनुपालन- अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मुख्यालय, मुंगेर)

प्रस्ताव संख्या :- 04

जिला परिषद् सभागार में जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों/प्रखंड विकास पदाधिकारियों/अंचल अधिकारियों/प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों की एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्याशाला का आयोजन करने का निर्णय पूर्व आयोजित बैठक में लिया गया था किन्तु उक्त कार्यशाला का आयोजन नहीं हो सका। इस निमित्त पुनश्च जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि कार्यशाला की आयोजन तिथि निर्धारित करने के लिए संचिका अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ यथाशीघ्र उपस्थापित किया जाय। **(अनुपालन– जिला कल्याण पदाधिकारी)**

प्रस्ताव संख्या :- 05

समीक्षा में पाया गया कि हत्या एवं बलात्कार से संबंधित मामलों की सम्यक समीक्षा नहीं हो पा रही है।

अतः निदेश दिया गया कि सभी थानों द्वारा अनु० जाति/अनु०जनजाति वर्ग से संबंधित हत्या एवं बलात्कार के मामलों को उक्त योजना में शामिल किया जाय तथा उक्त मामले में दर्ज प्राथमिकी/चार्जशीट/जांच पत्रक एवं आवेदन की मूल प्रति जिला कल्याण कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

(अनुपालन– पुलिस अधीक्षक, मुंगेर)

तत्पश्चात् सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

20/09/11

जिला पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक...1017......./कल्याण, दिनांक...20-9-11

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, मुंगेर/उप विकास आयुक्त, मुगेर/सभी पुलिस उपाधीक्षक/सभी थानाध्यक्ष/थानाध्यक्ष, अन0 जाति एवं अनु0 जनजाति, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक, कल्याण, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/09/11

जिला पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक....1017...../कल्याण, दिनांक....20-9-11

प्रतिलिपि :- सभी गैर सरकारी सदस्य जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति, मुंगेर/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी एवं जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदा0, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/09/11

जिला पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक 1017......./कल्याण, दिनांक...20-9-11

प्रतिलिपि :- सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/09/11

जिला पदाधिकारी
मुंगेर।